न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 687/2023

अनवान : –

1. गणेशाराम पारीक पुत्र श्योदानाराम जाति ब्राहमण निवासी भंगुली हाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार पुत्र श्योदानाराम जाति ब्राहमण निवासी भंगुली हाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. हनूमान पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रवितारानी पत्नी गणेशाराम पारीक जाति ब्राहमण निवासी भंगुली हाल नोहर तहसील नोहर।
2. सरोज पत्नी मुकेश कुमार पारीक जाति ब्राहमण निवासी भंगुली हाल नोहर तहसील नोहर।
3. गोपाल पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. सुरजाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. विद्या देवी पत्नी मनफुल उर्फ फुसाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. रामस्वरूप पुत्र मनफुल उर्फ फुसाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. दुलेसिंह पुत्र धोकल सिंह जाति राजपुत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. रोशनी पत्नी चेतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
9. सुन्दर देवी पत्नी कालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
10. बख्तावरसिंह पुत्र धोकल –फौत

    10/1. सूरजकंवर पत्नी बख्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

    10/2. कर्णीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

    10/3. सावित्री पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी जोरावरपुरा 3 एचएलएम तहसील रावतसर।

    10/4. परतु पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी बचनसिंह जाति राजपूत निवासी चौडीया राजासर तहसील सरदारशहर।

    15/5. गुमान पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी देवीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी चोडिया राजासर तहसील सरदारशहर।

    10/6. संतोष कुंवर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी साडासर तहसील सरदारशहर।

    10/7. मंजु कंवर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी सायरसिंह पुत्र श्योदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानसर तहसील नोहरं
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
12. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।
13. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाख न्योलखी तहसील रावतसर।
14. शाखा प्रबन्धक एचडीबैंक बैंक शाखा रावतसर।
15. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : [illegible] अधिवक्ता **वादीगण**

[illegible] राज

निर्णय दिनांक 23/7/2024

a1
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के ख0न0 1 की 7.8177 हैक्ट भूमि, ख0न0 1179 की 1.7330 हैक्ट भूमि ख0न0 2 की 3.7570 हैक्ट, ख0न0 32/1556 की 3.7060 हैक्ट, ख0न0 4 की 6.3376 हैक्ट, ख0न0 948 की 1.6824 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण व प्रतिवादगण ने वादी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है मुताबिक बंटवारा वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त मे ख0न0 2 की 3.7570 हैक्ट भूमि व ख0न0 4 की 6.3376 हैक्ट कुल 10.0946 हैक्ट भूमि है तथा वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। वादी स0 3 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के कब्जा काश्त में ख0न0 32/1556 की 3.7064 हैक्ट व ख0न0 1 की पूर्व के तरफ की 2.8209 हैक्ट दोनो खसरो की 6.5273 हैक्ट एवं इसी भूमि में वादी हनुमान की 0.4873 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 की 4.3347 हैक्ट व प्रतिवादी स0 4 की 1.0963 हैक्ट, प्रतिवादी स0 5 की 0.1218 हैक्ट, प्रतिवादी स0 6 की 0.4873 हैक्ट इसी प्रकार से कब्जा काश्त में है तथा ख0न0 1 में तीतमा नम्बर डालकर 1/2 ख0न0 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावे। मुताबिक बाहमी बंटवारा प्रतिवादी स0 7 दुलेसिंह के कब्जा काश्त में ख0न0 1 की पश्चिमी की तरफ की शेष भूमि 4.9968 हैक्ट भूमि जो ख0न0 1 का तीतमा नम्बर 1/1 डालकर जमाबंदी में बैंक रहन के अंकन को यथावत रखते हुए दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के कब्जा काश्त में ख0न0 948 की 1.6824 हैक्ट भूमि बहिब इनके कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी स0 10 बख्तावरसिंह जो फौत हो चुका है उनके वारिसान प्रतिवादीगण स0 10/1 से 10/7 के कब्जा काश्त में ख0न0 1179 की 1.7330 हैक्ट भूमि है जिसे इनके नाम बहिब दर्ज की जावे। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण पक्षकारान का सींव व लगान को लेकर तनाजा रहता है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण का मुताबिक बाहमी राजीनामा खाता व लगान अलग किया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी [illegible] ता 10/7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11/7 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के ख0न0 1 की 7.8177 हैक्ट भूमि, ख0न0 1179 की 1.7330 हैक्ट भूमि ख0न0 2 की 3.7570 हैक्ट, ख0न0 32/1556 की 3.7060 हैक्ट, ख0न0 4 की 6.3376 हैक्ट, ख0न0 948 की 1.6824 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10/7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 355/358 की कुल 25.0341 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्स हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग [illegible] जाती है

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested

1 वादी स0 1 का 515/5109 हि0 2.5235 [illegible] वादी स0 2 का 515/5109 हि0 2.5235 हैक्ट, प्रतिवादी स0 1 का 7211/7152 हि0 2.5238 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

7211/71526 हि0 2.5238 हि0 – ख0न0 2 रकबा 3.7570 हैक्ट, ख0न0 4 रकबा 6.3376 हैक्ट कुल रकबा 10.0946 हैक्ट

2 प्रतिवादी स0 3 का 14449/83447 हि0 4.3347 हैक्ट, प्रतिवादी स0 4 का 10963/250341 हि0 1.0963 हैक्ट, प्रतिवादी स0 5 का 58/11921 हि0 0.1218 हैक्ट, वादी स0 3 का 232/11921 हि0 0.4872 हैक्ट, प्रतिवादी स0 6 का 4873/250341 हि0 0.4873 हैक्ट– ख0न0 32/1556 रकबा 3.7064 हैक्ट व खसरा न0 1/2 का रकबा 2. 8209 हैक्ट कुल रकबा 6.5273 हैक्ट

3 प्रतिवादी स0 7 – खसरा न0 1/1 रकबा 4.9968

4 प्रतिवादीया स0 8 व 9 बहिब – ख0न0 948 रकबा 1.6824 हैक्ट

5 बख्तावरसिंह पुत्र धोकलसिंह (फौत) प्रतिवादी स0 10/1 ता 10/7 बहिब – ख0न0 1179 रकबा 1.7330 हैक्ट

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...23/7/24... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 687/2023

अनवान : –

1. गणेशाराम पारीक पुत्र श्योदानाराम जाति ब्राहमण निवासी भंगुली हाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार पुत्र श्योदानाराम जाति ब्राहमण निवासी भंगुली हाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. हनूमान पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रवितारानी पत्नी गणेशाराम पारीक जाति ब्राहमण निवासी भंगुली हाल नोहर तहसील नोहर।
2. सरोज पत्नी मुकेश कुमार पारीक जाति ब्राहमण निवासी भंगुली हाल नोहर तहसील नोहर।
3. गोपाल पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. सुरजाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. विद्या देवी पत्नी मनफुल उर्फ फुसाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. रामस्वरूप पुत्र मनफुल उर्फ फुसाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. दुलेसिंह पुत्र धोकल सिंह जाति राजपुत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. रोशनी पत्नी चेतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
9. सुन्दर देवी पत्नी कालुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
10. बख्तावरसिंह पुत्र धोकल –फौत

    10/1. सूरजकंवर पत्नी बख्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

    10/2. कर्णीसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

    10/3. सावित्री पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी जोरावरपुरा 3 एचएलएम तहसील रावतसर।

    10/4. परतु पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी बचनसिंह जाति राजपूत निवासी चौडीया राजासर तहसील सरदारशहर।

    15/5. गुमान पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी देवीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी चोडिया राजासर तहसील सरदारशहर।

    10/6. संतोष कुंवर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी साडासर तहसील सरदारशहर।

    10/7. मंजु कंवर पुत्री बख्तावरसिंह पत्नी सायरसिंह पुत्र श्योदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानसर तहसील नोहरं
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
12. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर तहसील नोहर।
13. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाख न्योलखी तहसील रावतसर।
14. शाखा प्रबन्धक एचडीबैंक बैंक शाखा रावतसर।
15. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त... नियम 1955

राजस्व वाद संख्या... 23/7/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़व... एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हरिसिंह सिहाग एवं राज पेरोक... की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 355/358 की कुल 25.0341 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्स हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है

1 वादी स0 1 का 515/5109 हि0 2.5235 हैक्ट, वादी स0 2 का 515/5109 हि0 2.5235 हैक्ट, प्रतिवादी स0 1 का 7211/71526 हि0 2.5238 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 का 7211/71526 हि0 2.5238 हि0 – ख0न0 2 रकबा 3.7570 हैक्ट, ख0न0 4 रकबा 6.3376 हैक्ट कुल रकबा 10.0946 हैक्ट

2 प्रतिवादी स0 3 का 14449/83447 हि0 4.3347 हैक्ट, प्रतिवादी स0 4 का 10963/250341 हि0 1.0963 हैक्ट, प्रतिवादी स0 5 का 58/11921 हि0 0.1218 हैक्ट, वादी स0 3 का 232/11921 हि0 0.4872 हैक्ट, प्रतिवादी स0 6 का 4873/250341 हि0 0.4873 हैक्ट– ख0न0 32/1556 रकबा 3.7064 हैक्ट व खसरा न0 1/2 का रकबा 2. 8209 हैक्ट कुल रकबा 6.5273 हैक्ट

3 प्रतिवादी स0 7 – खसरा न0 1/1 रकबा 4.9968

4 प्रतिवादीया स0 8 व 9 बहिब – ख0न0 948 रकबा 1.6824 हैक्ट

5 बख्तावरसिंह पुत्र धोकलसिंह (फौत) प्रतिवादी स0 10/1 ता 10/7 बहिब – ख0न0 1179 रकबा 1.7330 हैक्ट

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:31:27 IST
Reason: SelfAttested